## संपादकीय

# मजदूर हड़तालों का सिलसिला : चुनौतियाँ और सम्भावनायें

सन् 2000 की शुरुआत मजदूर वर्ग और कर्मचारियों के संघर्षों के सिलसिले से हुई है। 1991 के बाद होने वाले हमलों के समक्ष थोड़े समय के लिए मजदूर वर्ग के संघर्षों में सन्नाटा सा आ गया था, उसमें बाद के वर्षों में बेचैनी, असंतोष और गुस्से की अभिव्यक्ति नए संघर्षों में होना शुरु हो रही थी। देशी-विदेशी पूंजी के आक्रमण के सामने छिट-पुट एवं संगठित संघर्षों में क्रमशः तेजी आती गयी है। उत्तर-प्रदेश के विद्युतकर्मियों की 11 दिनों की हड़ताल में 90,000 कर्मचारियों की व्यापक भागीदारी से यह स्पष्ट हो गया है कि दमन व उत्पीड़न की तमाम कोशिशों के बावजूद कर्मचारियों के मनोबल को तोड़ने में उ.प्र. सरकार नाकामयाब रही। उनके इस आंदोलन को मिलने वाले व्यापक समर्थन ने यह स्पष्ट कर दिया कि निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण की जन-विरोधी और मजदूर-विरोधी नीतियों के विरुद्ध देशव्यापी पैमाने पर कर्मचारियों और मजदूरों में असंतोष और गुस्सा है। अगर यह हड़ताल बिना किसी उपलब्धि के समाप्त हो गयी तो इसके कारण नेतृत्व के समझौतापरस्त चरित्र और गद्दारी में है। दरअसल, ट्रेड यूनियनों का नेतृत्व इस समय आम तौर पर ऐसी नौकरशाही कर रही है जो मजदूर आंदोलन का इस्तेमाल अपनी विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति को बनाये रखने और उसे बढ़ाने के लिए कर रही है। वह मजदूरों को कुछ आर्थिक रियायतें पाने तक ही सीमित रखती है। इस तरह, वह यह नहीं चाहती कि मजदूर वर्ग का संघर्ष पूंजी के जुए से मुक्ति के संघर्ष की ओर जाए। यह एक निर्णायक महत्व के कारणों में से है जो अनेक संघर्षों की समाप्ति के बाद मजदूर आंदोलन में गति और उत्साह नहीं आया है। यही हाल, राजस्थान के राज्य कर्मचारियों के आंदोलन, जम्मू व कश्मीर के राज्यकर्मियों के आंदोलन और बंदरगाह व गोदी कर्मचारियों की हड़ताल का भी रहा है। 11 मई को जन-संगठनों के राष्ट्रीय मंच की देशव्यापी हड़ताल के आह्वान की भी कार्यवाही किसी सिलसिलेवार संघर्ष का हिस्सा न होकर अनुष्ठान बनकर रह गयी है। हालांकि मजदूरों और कर्मचारियों की भागीदारी उनके संघर्ष करने के इरादे को व्यक्त करती है।

मजदूर आंदोलन बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा है। शासक वर्ग के हमले बढ़ते जा रहे हैं। ट्रेड यूनियन ऐक्ट में संशोधन करके मजदूरों के संगठन और आंदोलन करने के अधिकारों को सीमित किया जा रहा है। देशव्यापी पैमाने पर अलग-अलग उद्योगों में छंटनी की जा रही है। नियमित मजदूरों के स्थान पर ठेकेदारी और अनियमित मजदूरों की भर्ती पर जोर दिया जा रहा है। काम पर लेने और निकाल बाहर करने के असीमित अधिकार पूंजीपतियों को दिये जा रहे हैं। कारखानों में तालाबंदी करने के अधिकार का प्रयोग पहले से ही पूंजीपति मजदूरों की कमर तोड़ने के लिए करते रहे हैं। केन्द्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारें देशी-विदेशी पूंजी को आकर्षित करने में होड़ कर रही हैं और इसके लिए वे मजदूरों के अब तक के हासिल किए गए अधिकारों और सुविधाओं में बेतहाशा कटौतियाँ कर रही हैं। देश के अलग-अलग हिस्सों में 'विशेष निर्यातक जोन' बनाये जा रहे हैं जहां पर मजदूरों को यूनियन बनाने के अधिकार से भी वंचित किया जा रहा है। दूसरी तरफ, देशी-विदेशी पूंजीपतियों को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को मिट्टी के मोल देने की मुहिम चल रही है। विनिवेश के लिए अलग से एक मंत्रालय ही बना दिया गया है।

मजदूर वर्ग और अन्य मेहनतकश लोगों पर बढ़ते हुए हमलों के समक्ष मजदूर आंदोलन सार्थक प्रतिरोध अगर नहीं खड़ा कर पा रहा है तो इसके कारण खुद मजदूर आंदोलन में निहित हैं। हमारे देश का मजदूर आंदोलन कोई नए सिरे से शुरु नहीं हो रहा है। पिछले 80 वर्ष से यह मजदूरों को संगठित करने मे संघर्षरत

LS2

रहा है। इसके बावजूद यदि पहले से हासिल किए गए अधिकारों पर पूंजीपति वर्ग और सरकार कटौती करने में सफल हो पा रही हैं तो इसका कारण खुद मजदूर आंदोलन के भीतर ही होना चाहिए, मजूदर आंदोलन की सापेक्ष ताकत की कमजोरी में होना चाहिए।

यह एक सच्चाई है कि अधिकांश केन्द्रीय ट्रेड यूनियनें मजदूरों के संघर्ष को महज उनके आर्थिक और कानूनी दायरे में ही चलाती रही हैं। यहाँ तक कि जुझारु से जुझारु यूनियनें भी मजदूर वर्ग के संघर्ष तो करती रही हैं लेकिन मजदूर वर्ग को उसके ऐतिहासिक मिशन में शिक्षित और दीक्षित करने का कार्यभार उनकी प्राथमिकता में नहीं रहा है। यह बात सिर्फ पूंजीवादी पार्टियों से जुड़ी ट्रेड यूनियनों पर ही लागू नहीं होती। उनको तो यह करना ही था। संशोधनवादी पार्टियों और सामाजिक सुधार की पार्टियों से जुड़ी ट्रेड यूनियनें भी आजादी के बाद के वर्षों में यही करती रही हैं। वे मजदूर आंदोलन को मजदूर वर्ग की विचारधारा से अलग रखते रहे हैं। अलग-अलग देशों के मजदूर आंदोलन के इतिहास में ऐसी कोशिशें होती रही हैं जिनके विरुद्ध संघर्ष करके ही मजदूर आंदोलन सही मायने में सामाजिक मुक्ति के आंदोलन के तौर पर विकसित हो सका। मजदूर वर्ग की मुक्ति का काम खुद मजदूर वर्ग के हाथों ही होगा, यह मार्क्सवाद की बुनियादी बात है। मजदूर वर्ग तब तक अपने को मुक्त नहीं कर सकता, जब तक वह समाज के अन्य सभी मेहनतकश तबकों को मुक्त नहीं कर देता। इससे यह स्पष्ट मतलब निकलता है कि यदि मजदूर आंदोलन सचेत तौर पर मजदूर वर्ग की विचारधारा यानी मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओ विचारधारा से निर्देशित नहीं होता तो वह अवश्यम्भावी तौर पर पूंजीवादी विचारधारा से निर्देशित होगा और अन्ततोगत्वा तो पूंजीवाद की ही सेवा करेगा।

हमारे देश के मजदूर आंदोलन में यह एक महत्वपूर्ण कारक रहा है कि यह क्रमशः मजदूर वर्ग की विचारधारा से कटता गया है, अपने ऐतिहासिक मिशन से अलग-थलग होता गया है। इसकी वजह से यह खुद पूंजीवाद के दायरे में सिमट कर रह गया है। मजदूर आंदोलन को उसके ऐतिहासिक मिशन से भटकाने और उसे पूंजीवाद की सुरक्षा पंक्ति में इस्तेमाल करने में संशोधनवाद जिम्मेदार रहा है। जहां पूंजीवादी पार्टियां अपने सामाजिक आधार को मजदूर वर्ग के बीच फैलाने के लिए ट्रेड यूनियनें संगठित करती हैं, और वे खुद तथाकथित मजदूर नेताओं में से शासक वर्ग के राजनीतिज्ञ तैयार करती है, वहीं संशोधनवादी पार्टियां मजदूरों के बीच से शासक वर्ग की एक दूसरी सुरक्षा पंक्ति तैयार करती हैं। ये मजदूर वर्ग की विचारधारा की बातें भी करती हैं, लेकिन व्यवहार में कभी भी मजदूर वर्ग को उसके ऐतिहासिक मिशन के कार्यभार के लिए तैयार नहीं करतीं और उनके संघर्षों को महज आर्थिक दायरे तक ही सीमित रखतीं है। अगर हम अपने देश के इन संशोधनकारियों को देखें तो साफ जाहिर हो जाता है कि ये मजदूर आंदोलन को अर्थवाद, कानूनवाद और संसदवाद की सीमाओं में कैद रखते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु जब मजदूरों से यह कहते हैं कि हड़ताल करना उनका आखिरी हथियार होना चाहिए तो यह स्पष्ट तौर पर मार्क्सवाद का परित्याग है। जबकि यह जानी हुई बात है कि पूंजी की सत्ता के सामने अकेले-अकेले मजदूर कुछ भी नहीं होता, कि पूंजी की सत्ता का मुकाबला वह अपने समूह की संगठन शक्ति से ही कर सकता है और कि हड़तालें, सामूहिक कार्यवाइयां, कम्युनिज्म की प्राथमिक पाठशालायें होती हैं। मजदूर आंदोलन को ये संशोधनवादी जैसे-जैसे संसदवाद और कानूनवाद की चौहद्दी में कैद करते गए, वैसे-वैसे मजदूरों की भारी संख्या इनकी ट्रेड यूनियनों में महज नाममात्र की शिरकत करती गयी। जब कोई साधारण मजदूर यह देखता है कि 'नेता जी' तो संसद और विधान सभाओं की तैयारी कर रहे हैं तथा उनके मुकद्मों के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वह भी अपना चंदा देकर सोचता है कि 'नेता जी' उसका काम कर देंगे। उसको ऐतिहासिक मिशन से न तो परिचित कराया जाता है और न ही इन ट्रेड यूनियनों में ऐतिहासिक मिशन के प्रति कोई सरोकार रहता है। यही कारण है कि मजदूर वर्ग की भागीदारी राजनीतिक संघर्षों में और अपने सीधे हितों से इतर के संघर्षों में कम होती गयी है। अक्सर यह देखने में आता है कि मई दिवस की रैलियों में मजदूरों की शिरकत कम से कमतर होती गयी है। यह मजदूर आंदोलन के भीतर खुद अपनी विरासत के प्रति उपेक्षा व उदासीनता के रवैये का परिचायक है जिसका कारण लम्बे अरसे

LS2

से मौजूद संशोधनवाद है। इसी संशोधनवाद के कारण केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों में शासक वर्ग की ट्रेड यूनियनों और 'लाल झण्डा' वाली ट्रेड यूनियनों के बीच बुनियादी फर्क समाप्त होता गया है। इस वजह से आज की हालत यहां पहुंच चुकी है कि घोर साम्प्रदायिक और मजदूर-विरोधी ट्रेड यूनियन 'भारतीय मजदूर संघ' इस समय सबसे बड़ी केन्द्रीय ट्रेड यूनियन हो गयी है। जगह-जगह मई दिवस मनाने की तुलना में विश्वकर्मा दिवस मनाने में मजदूरों की हिस्सेदारी बढ़ाई जा रही है। लेनिन ने सुधारवाद और संशोधनवाद के सामाजिक आधार के बारे में कहा है कि साम्राज्यवादी पूंजीपतियों द्वारा दुनिया की लूट यूरोप के मजदूर वर्ग के एक तबके, मजदूर अभिजातों को कुछ टुकड़े फेंकने में है। यह साम्राज्यवादी पूंजीपति समूची दुनिया, विशेष तौर पर उपनिवेशों से शोषण के जरिये अति-लाभ कमाते थे। हमारे देश में भी संगठित मजदूरों के कुछ हिस्से सुविधा प्राप्त स्थिति में आ गए हैं। ये अभिजात मजदूर हमारे देश में मजदूरों के भीतर पूंजीवादी विचारधारा के वाहक हैं। ''कल्याणकारी राज्य'' के मुखौटा तले भारतीय राज्य ने मजदूरों के एक अल्पसंख्यक हिस्से को कुछ टुकड़े फेंककर यह अभिजात मजदूरों का तबका पैदा किया है। यदि मजदूर वर्ग अपने ऐतिहासिक मिशन के लिए तैयार नहीं होता तो आज पूंजीपति वर्ग के चौतरफा हमले के समक्ष घुटने टेकने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं बचता। संशोधनवाद मजदूर आंदोलन को इस स्थिति तक लाने के लिए हिम्मेदार है। यह वस्तुतः मजदूर आंदोलन के भीतर पूंजीपति वर्ग के एजेण्ट के तौर पर काम करता है।

एक बात और है जो मौजूदा केन्द्रीय ट्रेड यूनियन केन्द्रों को पूंजीपति वर्ग और उनकी सत्ता द्वारा किये जा रहे मजदूर वर्ग पर चौतरफा हमलों के समक्ष किंकर्तव्यविमूढ़ बना रही है तथा उनके प्रतिकार को प्रभावहीन बना चुकी है। अधिकांश केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों का विकास और विस्तार ऐसे समय में हुआ था जब भारतीय पूंजीवादी राज्य सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार कर रहा था। निजी क्षेत्र के बैंकों, बीमा कम्पनियों, खदानों और कारखानों का राष्ट्रीयकरण कर रहा था। हालांकि वह उस समय समूचे पूंजीपति वर्ग के दूरगामी और दीर्घकालीन हितों को केन्द्र में रख कर वे कदम उठा रहा था, लेकिन इसको वह ''समाजवाद'' तथा ''गरीबी हटाओ'' आदि के साथ, लोक लुभावने वायदों के साथ, जोड़ रहा था। इसके कारण भी कानूनों में संगठित क्षेत्र के मजदूरों के एक अल्पसंख्या के लिए कुछ अधिकारों और सुविधाओं का प्रावधान रखा गया था। शेष मजदूर इस दायरे से बाहर थे। राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मजदूरों व कर्मचारियों के काम करने की स्थितियों, उनके आवास और अन्य बुनियादी जरूरतों को कानूनन मान्यता देता था तथा ट्रेड यूनियनों को इन अधिकारों को हासिल करने में व्यवधानों को ज्यादा खड़ा नहीं करता था। इस समय जब खुद राज्य ही सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को निजी हाथों में सौंप रहा है तो वह ट्रेड यूनियनों को मिले कुछ भी संरक्षात्मक कदमों से भी हाथ खींच रहा है। अब तो वह सीधे-सीधे सुविधाओं में कटौती, काम से हटाने और 'रेशनलाइजेशन' के नाम पर खुद ही छंटनी करने के अभियान में लग गया है। ऐसी परिस्थिति में, पुरानी ट्रेड यूनियनें अपने परम्परागत तौर-तरीकों और राज्य से उनके संघर्ष के रास्ते में कम से कम व्यवधान खड़ा करने की उम्मीद के कारण प्रभावहीन होती जा रही हैं। वे जिस तरीके के रक्षात्मक संघर्ष चलाने की अभस्त थीं, उसी पर अभी भी चल रही हैं। फलस्वरूप वे मौजूदा हमलों का मुकाबला करने में असमर्थ हैं। पुरानी केन्द्रीय ट्रेड यूनियनें अपने परिप्रेक्ष्य और तेवर में परिवर्तन ला नहीं सकतीं। पूंजीवादी राज्य मजदूर आंदोलन से निपटने के लिए दो तरीके अपनाता रहा है एक दमन का और दूसरा व्यवस्था में समाहित करने का। ये पुरानी केन्द्रीय ट्रेड यूनियनें अधिकांशतः सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में तथा बड़े उद्योगों में कार्यरत थी। राज्य ने उनको व्यवस्था में समाहित करने का तरीका अपनाया था और वस्तुतः नेतृत्व व्यवस्था में को-ऑप्ट वेद लिया गया। यही कारण है कि मौजूदा नेतृत्व आज ये संघर्ष चलाने में असमर्थ है। जबकि आज अपने अधिकारों को बचाने के लिए भी आक्रमक तरीके अपनाने की जरूरत है, अधिकारों के विस्तार और पूंजी के प्रभुत्व के खात्मे की लड़ाई तो दूर की बात है।

देश के मजदूरों की बहुत बड़ी आबादी असंगठित क्षेत्र या अनौपचारिक क्षेत्र में है। इनकी काम करने की शर्तें और जीवन स्थितियां अत्यंत खराब होने के बावजूद इन्हें संगठित करने का कार्यभार कभी भी केन्द्रीय ट्रेड

यूनियनों ने गम्भीरता से नहीं लिया है। पूंजीवादी राज्य और मालिक वर्ग के विरूद्ध संघर्ष में इन क्षेत्रों के मजदूरों को अक्सर दमन का सामना करना पड़ता है। इनमें जुझारू संघर्ष खड़ा होने की व्यापक सम्भावनायें मौजूद हैं। लेकिन स्थापित ट्रेड यूनियनें ऐसे दमन की स्थितियों के लिए तैयार ही नहीं हैं। फलस्वरूप मजदूर वर्ग के इस व्यापक हिस्से को संगठित करने से या तो अछूता ही छोड़ दिया गया है या महज औपचारिक संगठन बनाये गये हैं। आज जब संगठित क्षेत्र से निकाले गए मजदूर जीविका की तलाश में असंगठित क्षेत्र की ओर जा रहे हैं तो इन सबसे खराब स्थितियों में रहने वाले मजदूरों को संगठित करने का एक महत्वपूर्ण कार्यभार है। ये वे मजदूर हैं जिनके लिए न तो पहले से ही कोई ट्रेड यूनियन अधिकार मौजूद थे और न ही इन्हें राज्य की कोई सुरक्षा उपलब्द्ध थी और अब तो होने का सवाल ही नहीं है। लेकिन केन्द्रीय ट्रेड यूनियनें जो मौजूदा पूंजीवादी व्यवस्था में समाहित हो चुकी हैं, इस समूची आबादी के प्रति उदासीन हैं।

मजदूर वर्ग और समूचे समाज को पूंजी के प्रभुत्व से मुक्त कराने का काम एक समाजवादी क्रांति ही कर सकती है। ऐसी क्रांति मजदूर वर्ग  की राजनीतिक पार्टी, एक सही कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में मजदूर वर्ग और समूची मेहनतकश जनता को गोलबंद व संगठित करके पूंजीवादी राज्य मशीनरी को चकनाचूर करके ही हो सकती है। आज जब देशव्यापी पैमाने पर एकल सही कम्युनिस्ट पार्टी का अभाव है, तब देश के अलग-अलग इलाकों में कम्युनिस्ट क्रांतिकारी संगठनों का यह दायित्व बनाता है कि वे एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी के निर्माण के लिए संघर्ष करें। चूंकि कम्युनिस्ट पार्टी मजदूर वर्ग का सबसे अगुवा दस्ता होती है, वे उसका सबसे उन्नत किस्म का संगठन होती है जिसमें सर्वहारा विचारधारा से लैस मजदूर ही शामिल हो सकते हैं, इसलिए व्यापक मजदूर आबादी का गोलबंद करने के लिए इस दौरान विभिन्न क्रांतिकारी संगठनों की यह जिम्मेदारी भी बनती है कि वे मजदूरों के बीच अपने जन राजनीतिक केन्द्र स्थापित करने का प्रयास करें।

पिछले कुछ वर्षों से कुछ जगहों पर मजदूर वर्ग ने मौजूदा संशोधनवादी और सुधारवादी नेतृत्व को रद्द करके या उनके पीछे चलने से इंकार करके अपने जुझारू संघर्षों के दौरान नया नेतृत्व स्थापित किया है, यह अपने आप में एक सही नेतृत्व की उनकी चाहत को दर्शाता है। लेकिन उनकी इस चाहत को एक मजदूर वर्ग के जन राजनीतिक केन्द्र को स्थापित करके ही वास्तविकता में बदला जा सकता है। ऐसा जन राजनीतिक केन्द्र मौजूदा ट्रेड यूनियन ढांचे से बाहर जाकर मजदूर वर्ग  के बीच से ऐसी अगुवा टीम तैयार करेगा जो न सिर्फ उनको अपने खास उद्योग की शाखा की स्थितियों और उसके कारणों से परिचित करायेगा और समझदारी देगा बल्कि समूचे मजदूर वर्ग की हालत और उसके कारणों की समझदारी देगा, साथ ही अन्य मेहनतकश वर्गों तथा उसके दोस्त वर्गों की हालत और उसके कारणों की भी समझदारी देगा। वह ढुलमुल दोस्त से लेकर मजबूत दोस्तों की पहचान करने में समर्थ बनायेगा तथा दुश्मन की ताकत और कमजोरी की पहचान और समझदारी देगा। दुश्मन वर्गों के बीच के अंतरविरोधों और उनकी फूट को समझने में समर्थ बनायेगा। वह पूंजीपति वर्ग और उसकी राज्य सत्ता के असली मजदूर-विरोधी चरित्र से परिचित करायेगा तथा साम्राज्यवाद के साथ भारतीय पूंजीपति वर्ग के साथ रिश्तों की जानकारी करायेगा। ऐसा जन राजनीतिक केन्द्र मजदूर वर्ग के ऐतिहासिक मिशन की समझदारी और उस मिशन को पूरा करने के लिए मजदूर वर्ग से हिरावल तैयार करेगा। स्वाभाविक है कि वह स्वत: स्फूर्त तरीके से अपने आप नहीं स्थापित हो जायेगा। और न ही केवल जुझारू संघर्षों के फलस्वरूप इसे खड़ा किया जा सकेगा। अतीत में जुझारू आर्थिक संघर्षों की अगुवाई करने वाली ऐसी ट्रेड यूनियनें रही हैं जिनका नेतृत्व यह कहता रहा है कि उनका काम तो मजदूर वर्ग को संगठित करके उन्हें संघर्ष में उतारना है, मजदूर अपनी विचारधारा संघर्षों के दौरान हासिल कर लेंगे। ऐसा चिंतन अभी भी कुछ कम्युनिस्ट क्रांतिकारी हल्कों में मौजूद है कि ट्रेड यूनियनें खड़ी करके और जुझारू संघर्ष लड़कर मजदूर वर्ग के बीच क्रांतिकारी तरीके से काम किया जा सकता है। उनका यह चिंतन औपचारिक लेखन में कम लेकिन व्यवहार में ज्यादा परिलक्षित होता है। यह शुद्ध अर्थवादी चिंतन है।

अधिकांश क्रांतिकारी कम्युनिस्ट संगठन अपनी राजनीतिक कार्यदिशा के चलते मजदूर आंदोलन से कमोबेश अनुपस्थित है। मजदूर आंदोलन के भीतर क्रांतिकारी परिप्रेक्ष्य रखने वाले संगठन देशव्यापी पैमाने पर यत्र-तत्र उपस्थिति ही दर्ज करा रहे हैं, फलस्वरूप अर्थवादियों और सुधारवादियों के लिए खुला मैदान छोड़ दिया गया है।

मजदूर वर्ग का जन राजनीतिक केन्द्र जहां एक तरफ मजदूरों के बीच इस बात को स्थापित करेगा कि वह सिर्फ अपने उद्योग या उसकी शाखा के हितों के लिए ही नहीं लड़े बल्कि समूचे मजदूर वर्ग और अन्य मेहनतकश लोगों के संघर्षों में भागीदारी करे, वहीं दूसरी ओर वह पूंजीवादी पार्टियों और उसके राज्य द्वारा मजदूरों को साम्प्रदायिक, जातिवादी, क्षेत्रीयता और भाषायी आधार पर बांटने की हर साजिश के खिलाफ तैयार करेगा। यह आज की हकीकत है कि मजदूर वर्ग इन आधारों पर बंटा हुआ है। आज की इस हकीकत को बदलने के लिए यह जरूरी है कि मजदूर वर्ग के दैनंदिन के संघर्षों में हिस्सेदारी करते हुए उनके बीच में उनको बांटने वाली विचारधारा और ताकतों से परिचित करायें। यह अपने देश में बहुत अच्छी तरह से दिखायी देता है कि जिस रफ्तार से हमारे यहां मजदूर वर्ग के वर्ग संघर्षों में कमी आयी है और उनकी वर्ग आधारित राजनीति कमजोर हुई है, उसी रफ्तार से साम्प्रदायिक और जातिवादी राजनीति मजबूत हुई है। पूंजीपति वर्ग और उनकी पार्टियों का स्वार्थ इसमें है कि मजदूर वर्ग की एकता टूटे और वे एक-दूसरे के खिलाफ खड़े हों। यह हम देख रहे है कि एक तरफ तो पूंजीवादी राज्य पूंजीपति वर्ग और उनके विदेशी सहयोगियों को लूटने की खुली छूट दे रहा है तथा कानूनों को इतना तेजी से बदल रहा है कि उनके तहत मजदूरों को जो भी थोड़ी बहुत कानूनी सुविधायें मिली हुई थी उनको भी खत्म या कम किया जा रहा है, और दूसरी तरफ मजदूरों और मेहनतकशों के बीच फूट के बीज बोये जा रहे हैं। इस हालत को बदलने के लिए मजदूरों के संघर्षों में व्यापक एकजुटता हासिल करने के लिए शासक वर्ग की राजनीति का भण्डाफोड़ एक महत्वपूर्ण काम बनता है। हाल में शासक वर्ग के बढ़ते हमलों और मजदूर वर्ग के अलग-अलग हिस्सों द्वारा किये जा रहे संघर्षों में यह स्पष्ट हो गया है कि मजदूर वर्ग को क्रांतिकारी आधार पर संगठित करने के लिए वस्तुगत परिस्थितियां बेहतर होती जा रही हैं। यदि हम मजदूर वर्ग के जन राजनीतिक केन्द्र के जरिये मजदूर वर्ग के संघर्षों को संगठित करने के तरीके निकाल सकें, उनको इस बात के लिए तैयार कर सकें कि संघर्ष करने के सिवाय मजदूर वर्ग के सामने कोई रास्ता नहीं है, कि आंशिक या आर्थिक संघर्षों में तत्काल विजय मिलने के बाद भी हमारी लड़ाई खत्म नहीं होती, कि यह तब तक जारी रहेगी, जब तक कि पूंजी के जुए से मुक्ति नहीं मिल जाती। इसके लिए शुरूआत में जब तक मजदूर वर्ग के हरावलों को ट्रेड-यूनियनों के भीतर जन-कार्य करने के लिए बड़े पैमाने पर लगाकर किसी भी संघर्ष में व्यापकतम मजदूरों को लामबंद करने का रास्ता अख्तियार नहीं किया जाता, तब तक मैनेजमेन्ट या मालिकों की दलाल यूनियनों से लेकर स्थापित यूनियनों के नेताओं द्वारा मजदूरों के बीच फूट डालने की कार्रवाई का सफल प्रतिकार नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद भी हो सकता है कि तत्काल लड़ाई जीती न जा सके। इसके लिए जरुरी है कि हिरावल, मजदूर वर्ग को असफलता के कारण समझा सके। यह भी अक्सर देखने में आता है कि जगह-जगह मैनेजमेन्ट या दलाल यूनियनें समाज- विरोधी तत्वों और माफिया गिरोहों का सहारा लेकर किसी आंदोलन को तोड़ने की कोशिश करते हैं। मैनेजमेन्ट राज्य मशीनरी का इस्तेमाल तो अक्सर ही आंदोलन को तोड़ने के लिए करता है। इस स्थिति से निपटने के लिए शुरु से ही क्रान्तिकारी मजदूर आंदोलन को न सिर्फ मजदूरों के बीच से आत्मरक्षा दस्ते तैयार करने होंगे बल्कि संघर्ष के परम्परागत तरीकों से अलग हटकर नये-नये तरीकों को इस्तेमाल करना होगा।

अभी हाल के उ.प्र. के बिजली कर्मचारियों के आंदोलन में कर्मचारियों की व्यापक हिस्सेदारी के बावजूद चूंकि पुलिस दमन से मुकाबला करने का कोई रास्ता नहीं निकाला गया था, और न ही नेतृत्व की ऐसी कोई तैयारी तो दूर, ऐसी मंशा भी थी, इसलिए पुलिस दमन के सामने आंदोलन आगे बढ़ने में असमर्थ था। ऐसी स्थिति में यदि मजदूर वर्ग का जन राजनीतिक केन्द्र क्रांतिकारी परिप्रेक्ष्य से लैस रहता तो वह इस दमन को

झेलने के लिए एक तरफ तो मजदूरों को तैयार करता और दूसरी तरफ, दमन का मुकाबला करने के लिए कोई तैयारी करता।

कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों के लिए यह समय मौजूदा मजदूर आंदोलन के अंदर गहरी जड़ जमाये अर्थवाद-कानूनवाद-सुधारवाद के विरुद्ध संघर्ष करने का सम्भावनामय समय है। यह वह समय है जब मजदूर वर्ग की व्यापक कतारों में पूंजीवादी-सुधारवादी तथा संशोधनवादी नेतृत्व के विरुद्ध बड़े पैमाने पर मोहभंग हो रहा है। यह कठिन समय भी है क्योंकि मजदूर वर्ग पर शासक वर्ग के हमले अचानक तेज हो गए हैं। मजदूरों की व्यापक पैमाने पर छंटनी हो रही है और उनके ऊपर काम से हटाये जाने की नंगी तलवार हमेशा उनके सिर पर लटकती रहती है। मजदूर असंगठित क्षेत्र में, छोटे उद्योगों में पलायन करने को मजबूर हैं। ऐसे में उनकी जीने की परिस्थितियाँ अत्यन्त दूभर होती जा रही हैं। काम की परिस्थितियाँ और कठिन होती गयी हैं। इस हालत में मजदूरों के एक हिस्से में यह भावना घर करती जा रही है कि पूंजीपतियों और उनकी सरकार के चौतरफा हमले के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। इस कठिन समय में मजदूरों को उनके ऐतिहासिक मिशन को पूरा करने के कार्यभार के लिए तैयार करना कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों के समक्ष चुनौती है। कम्युनिस्ट हमेशा धारा के विरुद्ध तैरने का साहस रखते हैं और वे इस फौरी प्रतिकूल परिस्थिति को अपने अनुकूल ढालने के लिए तैयार करेंगे। क्योंकि वे जानते हैं कि मजदूर वर्ग के पास खोने के लिए गुलामी की बेड़ियों के सिवाय और कुछ नहीं है।

हाल में मजदूरों और कर्मचारियों के संघर्षों में जो तेजी आई है, वह इस सम्भावना को उजागर करती है कि यदि साहस और समझदारी के साथ क्रांतिकारी प्ररिप्रेक्ष्य को लेकर मजदूर आंदोलन को संगठित करने के लिए मैदान में डटा जाय तो कोई वजह नहीं कि समाज को पूंजी के जुए से मुक्त करने के लिए मजदूर जोशोखरोश के साथ तैयार न हों। इस प्रक्रिया में मजदूर वर्ग न सिर्फ शासक वर्ग के हमलों का जवाब देगा बल्कि वह पूंजीपति वर्ग की और पूंजीवाद की कब्र खोदने वाला है, यह सिद्ध भी करेगा। वर्ग सचेत मजदूर जैसे-जैसे अपने ऐतिहासिक मिशन के प्रति जागरूक होकर वर्ग संघर्ष को तेज करेंगे, वैसे-वैसे वे ऐसी समाज व्यवस्था को समाप्त करने की ओर बढ़ेंगे जहां पर इंसान के जिंदा श्रम को सिक्के में ढालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सम्पत्तिहरण करने वालों की सम्पत्तिहरण करके वे समाजवाद का निर्माण करेंगे।

■ ■ ■